

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र सं०- 09/उपा0बीज0अनु0-43/2018

3237

/क० पटना, दिनांक 08/06/

2018

प्रेषक :

हिमांशु कुमार राय, मा०प्र०से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में :

मेसर्स कृषि काबेरी सीड्स फार्म (प० बंगाल)
ग्राम- श्रीपुर डंगराहा, पोस्ट- बायसी, जिला- पूर्णिया।

विषय :

नई बीज बिक्री अनुज्ञप्ति प्रदान करने के संबंध में।


महाशय,

आपसे प्राप्त प्रपत्र-ए, कोषागार चालान, स्थल जाँच प्रतिवेदन एवं अन्य सुसंगत कागजातों के आधार पर बिहार राज्य में बीज बेचने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन क्रमांक-7 के लिए पंजीकरण किया जाता है:-

1. बीज अधिनियम 1966 के सभी धाराओं को आप पूरा-पूरा पालन करेंगे।
2. बीज बिक्री एवं भंडारण का प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में कृषि निदेशालय को हर माह के 20 तारीख तक भेजें। निर्धारित समय पर प्रतिवेदन नहीं प्राप्त होने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा।
3. बीज नियंत्रण आदेश 1983 के अंतर्गत घोषित बीज समय-समय पर बीज नमूना जाँच के लिए लेंगे।
4. हर बिक्री के लिए अलग पंजीकरण कर दें। बिक्री केन्द्रों की संख्या में यदि वृद्धि करें तो उसकी सूचना क्षेत्रीय कृषि पदाधिकारी को देते हुए उसकी पंजीकरण के लिए 15 दिनों के अंदर आवेदन पत्र दें अन्यथा अवैध ढंग से व्यापार करने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा।
5. बीज बिक्री हेतु बीज विक्रेता नियुक्त कर सकते हैं।
6. पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या 43/2018 संलग्न है।
7. राज्य के लिए केवल अनुशसित/अधिसूचित बीज का ही व्यापार संलग्न सूची के अनुसार करेंगे।
8. पंजीकरण की वैधता तिथि 07/06/2021 तक मान्य है।
9. कृषि निदेशालय के ज्ञापांक-2408 दिनांक 09.06.2017 से राज्य में रिसर्च फसल प्रभेदों की बिक्री प्रतिबंधित की गई है जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक :- बीज की सूची संलग्न।

विश्वासभाजन,


8.6.18
(हिमांशु कुमार राय)


कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 3237

/क०, पटना, दिनांक 08/06/2018

प्रतिलिपि:- 1. संयुक्त निदेशक (शष्य) उपादान/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/उप निदेशक (शष्य) बीज/ उप निदेशक (शष्य) मुख्यालय/उप निदेशक (शष्य) फसल/उप निदेशक (शष्य) तेलहन/उप निदेशक (शष्य) बीज विश्लेषण/उप निदेशक (शष्य) बीज निरीक्षण, बिहार, पटना/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, उद्यान (कृषि स्नातक)/ सभी बीज निरीक्षक को सूचनार्थ प्रेषित।

2. आई0टी0 मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड एवं ई-मेल करने हेतु प्रेषित।


8.6.18
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।



FORM 'B'

(See Clause 5)



LICENCE TO CARRY ON BUSINESS OF A DEALER IN SEEDS

License No 43 Date 08/06/18

Subject to the provisions of seed (Control) Order, 1983 and to the terms and conditions of the license Sri मेसर्स कृषि काबेरी सीड्स फार्म (प० बंगाल) is hereby granted license to sell, export, import and store for the said purposes of seeds.

2. The licensee shall carry on the afore-said business at द्वारा- ग्राम- श्रीपुर डंगराहा, पोस्ट- बायसी, जिला- पूर्णिया the details of boundary of places for storage and sale appear below.

Place of Storage	Place of Sale
मेसर्स कृषि काबेरी सीड्स फार्म (प० बंगाल) द्वारा-ग्राम- श्रीपुर डंगराहा, पोस्ट- बायसी, जिला- पूर्णियाँ	मेसर्स कृषि काबेरी सीड्स फार्म (प० बंगाल) द्वारा-ग्राम- श्रीपुर डंगराहा, पोस्ट- बायसी, जिला- पूर्णियाँ
पूरब - एन०एच०- 31	पूरब - नीज (एन०एच०- 31)
पश्चिम - अब्दुल हकीम	पश्चिम - अब्दुल हकीम
दक्षिण - नीज	दक्षिण - दरसेतुल्ला
उत्तर - अब्बु तालीब	उत्तर - अब्बु तालीब

Date : 08/06/2018

Seal : 60611 - 09/3410/0/253130 - 43/2018 - 3237

W. S. S.
8.6.18
Licensing Authority
Director of Agriculture
Bihar, Patna.

TERMS AND CONDITIONS OF LICENCE

1. The license shall be displayed at a prominent and conspicuous place in a part of the business premises open to the public.
2. The holder of the license shall comply with the provisions of the seed (Control) order, 1983 and the notifications issued there under and for the time being in force.
3. This license comes into force with immediate effect and shall be valid up to 07/06/2021 (7th June) Unless previously cancelled or suspended. *twenty twenty one*
4. The holder of the license shall from time to time report to the licensing authority and change in the premises where he carries on his business of sale, export, import or storage for the said purposes seeds.
5. The license shall give every facility to the licensing authority or any other officer acting under his authority for the purpose of inspecting his stock in any shop, depot or godown or other place/places used by in him for the purpose of storage. Sale or export of seed.
6. Separate license should be obtain if business is carried more than one place (For each place separately).

Qe

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

मेसर्स कृषि काबेरी सीड्स फार्म (प० बंगाल) के द्वारा राज्य में निम्न फसल प्रभेदों का व्यवसाय किया जाएगा।

पत्रांक:- 3237

दिनांक:- 08/06/2018

LIST OF CROP & VARIETIES

क्र० सं०	फसल का नाम	प्रभेद का नाम
1	PADDY	MTU- 7029, BB- 11, GS- 1, GS- 3, RANJIT, RANJANA, MTU- 1010, IET- 4094, IET- 4786, PARIJAT, NAYANMONI, NILANJANA, ANNADA, JAYA, RAJENDRA MANSOORI
2	WHEAT	KEDARNATH- 121
3	GRASS/SSG	KAMDHENU- 122
4	BHENDI	BANDANA- 252, MADHUMAYA- 149, ARKA ANAMIKA- 52
5	JUTE	JRO- 524, JRC- 212
6	MAIZE	SONA- 9092, SAHENSHAH- 8081, SHERA- 3722
7	MUSTARD	NICE GOLD B-54, NICE GOLD B- 9
8	WATERMELON	RITU RAJ- 75, SUGARKING- 45, KHUSHBOO- 65, MADHURIMA- 55
9	SPONG GUARD	NEHA- 115
10	RIDGE GUARD	SWETA- 118
11	BITTER GUARD	PALIKA- 112
12	BOTTLE GUARD	MALVIKA- 120

- कृषि निदेशालय के ज्ञापांक-2408 दिनांक-09.06.2017 से राज्य में रिसर्च फसल प्रभेदों की बिक्री प्रतिबंधित की गई है जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

Handwritten signature
8/6/18

(हिमांशु कुमार राय)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

Handwritten notes
02
पत्रांक 3237